

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2011

जयपुर, दिनांक 19.4.2011

—: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.2.2011 (क्रमांक 19) दिनांक 15.3.2011 (क्रमांक 4) तथा क्रमांक 8 के द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये राजकीय आवासों का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं:-

क.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित संख्या	आवास	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	12/2011	श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय उप निदेशक, पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।	ए-88	जवाहरनगर	31.7.2013
2.	16/2011	श्री घनश्याम वर्मा कम्पनी कमाण्डर, 5वीं बटालियन, आर.ए.सी. घाटगेट, जयपुर।	ए-19	जवाहरनगर	30.6.2030
3.	23/2011	डॉ० अशोक दुबे पशु चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, प्रादेशिक पशु चिकित्सा जैविक ईकाई जामडोली, आगरा रोड, जयपुर।	ए-99	जवाहरनगर	31.3.2038

आज्ञा से

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
6. उप निदेशक, पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. कमाण्डेन्ट, 5वीं बटालियन, आर.ए.सी. घाटगेट, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, प्रादेशिक पशु चिकित्सा ईकाई, जामडोली, आगरा रोड, जयपुर।
9. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
10. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावे।
11. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि०निगम लि० गौधीनगर/जवाहरनगर, जयपुर।
12. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गौधीनगर जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड में चस्पा करावे।
13. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावे।
14. श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय उप निदेशक, पेट्रोलियम विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त होने की तिथि से नियम 11(III) ए के तहत छः माह पश्चात् गौधीनगर, जयपुर हेतु विचारणीय होगा।
15. श्री घनश्याम वर्मा, कम्पनी कमाण्डर, 5वीं बटालियन, आर.ए.सी. घाटगेट, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त होने की तिथि से नियम 11(III) ए के तहत छः माह पश्चात् गौधीनगर, जयपुर हेतु विचारणीय होगा।

16. डॉ० अशोक दुबे, पशु चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, प्रादेशिक पशु चिकित्सा जैविक ईकाई जामडोली, आगरा रोड, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त होने की तिथि से नियम 11(III) ए के तहत छः माह पश्चात् भूतल गांधीनगर, जयपुर हेतु विचारणीय होगा।
17. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
18. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-5) विभाग।
19. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
20. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग।
21. रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव